

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
छात्रवृति हेतु आवेदन पत्र
शैक्षणिक सत्र

नूतन

नवीनीकरण

छात्रवृति चयन हेतु टिक (✓) मार्क करें।

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृति | <input type="checkbox"/> महिला योग्यता छात्रवृति |
| <input type="checkbox"/> उर्दू छात्रवृति | <input type="checkbox"/> मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृति |
| <input type="checkbox"/> ललित कला छात्रवृति | <input type="checkbox"/> मिलिट्री देहरादून छात्रवृति |
| <input type="checkbox"/> शोध छात्रवृति | |
| <input type="checkbox"/> भारत पाक एवं चीन युद्ध में मृतक अथवा अंपग सैनिकों के बच्चों / उनकी विधवाओं को छात्रवृति | |
| <input type="checkbox"/> कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति | |
| <input type="checkbox"/> स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृति | |
| <input type="checkbox"/> राजस्थान की पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को छात्रवृति | |

I- व्यक्तिगत विवरण

1. विद्यार्थी का नाम :

प्राचार्य द्वारा
सत्यापित विद्यार्थी
की फोटो मय
सील

2. पिता/पति का नाम :

3. लिंग : पुरुष महिला अन्य

4. जन्म तिथि :

(सैकण्ड्री परीक्षा अंकतालिका/प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

5. श्रेणी (सामान्य/एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./एस.बी.सी./अल्पसंख्यक) :

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

6. निवास का पता :

जिला राज्य राजस्थान

फोन (एसटीडी कोड) फोन नं. मोबाइल नं.:

7. मूल निवास स्थान :

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

8. आधार कार्ड नं. (स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

9. जन आधार कार्ड नं. (स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

10. गत वर्ष स्वीकृत छात्रवृति का नाम मय राशि

11. माता-पिता/अभिभावक का व्यवसाय :

12. माता-पिता/अभिभावक की कुल वार्षिक आय :

(आय प्रमाण पत्र संलग्न करें जो छः माह से अधिक पुराना ना हो।)

13. क्या विद्यार्थी द्वारा राज्य सरकार/भारत सरकार से अन्य कोई छात्रवृति/प्रोत्साहन राशि इस

वर्ष प्राप्त की गई है ? (हॉ/नहीं) (यदि नहीं तो इस संबंध में शपथ पत्र संलग्न करें)

II- गत परीक्षा से संबंधित विवरण

14. गत परीक्षा में उत्तीर्ण होने का पूर्ण विवरण :

परीक्षा का नाम	परीक्षा वर्ष	रोल नं.	संकाय	प्राप्तांक	प्रतिशत	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम
(अंकतालिका की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)						

III-अध्ययनरत् महाविद्यालय से संबंधित विवरण

15. अध्ययनरत् महाविद्यालय का नाम

16. कक्षा संकाय प्रवेश तिथि

(फीस जमा रसीद की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

नोट :- यदि विद्यार्थी छात्रावास में निवास कर रहा है तो निवास करने की तिथि से छात्रावास वार्डन से रसीद प्रमाणित कराकर संस्था प्रधान से प्रति हस्ताक्षर कराके संलग्न करें।

IV- विद्यार्थी के बैंक खाते से संबंधित विवरण

17. राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम जिसमें विद्यार्थी का बचत खाता है

18. शाखा का नाम शहर जिला.....

19. IFSC कोड खाता संख्या MICR कोड

(बैंक पासबुक की स्पष्ट स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें जिसमें शाखा का नाम, IFSC कोड, खाता संख्या व MICR कोड अंकित हों)

मैं (विद्यार्थी का नाम) प्रमाणित करता / करती हूं कि उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 से 19 तक मैं अंकित की गई समस्त सूचनाएं पूर्णतया: सही व सत्य हैं। यदि कोई भी सूचना असत्य पाई गई तो मैं छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि को वापिस राजकोष में जमा कराने का वचन देता/देती हूँ।

दिनांक

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

संलग्नक:-

क्र सं	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण	टिक (✓) मार्क करें
1	सैकण्ड्री प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति	
2	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति	
3	मूल निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति	
4	जनआधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति	
5	आय प्रमाण पत्र/बी.पी.ए.ल. कार्ड/पे-स्लीप/फार्म नं. 16 की स्व-प्रमाणित प्रति	
6	अन्य कोई छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं की गई है इस बाबत शपथ पत्र	
7	गत परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका की स्व-प्रमाणित प्रति	
8	अध्ययनरत् महाविद्यालय में जमा कराई गई फीस रसीद की स्व-प्रमाणित प्रति	
9	राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक की स्पष्ट स्व-प्रमाणित प्रति	
10	अन्य प्रमाण—पत्र	
कुल संलग्नकों की संख्या		

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र

- प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रापुत्र/पुत्री श्रीशैक्षणिक सत्र में इस महाविद्यालय की कक्षा संकाय में दिनांक को प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत् है।
- छात्र/छात्रा द्वारा दिये गये शपथ पत्र अनुसार कोई छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं की जा रही है।
- प्रमाणित किया जाता है कि यह महाविद्यालय राज्य सरकार से वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए मान्यता प्राप्त है तथा (विश्वविद्यालय का नाम) से वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिए सम्बद्धता प्राप्त है।
- आवेदक द्वारा वांछित समस्त स्व-प्रमाणित संलग्नक प्रमाण पत्र आदि (कुल संख्या) आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिये गये हैं।
- विद्यार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 19 में दी गई समस्त जानकारी का सत्यापन उपरांत छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि स्वीकृति हेतु अनुशंशा की जाती है।

दिनांक

हस्ताक्षर संस्था प्रधान मय सील

नोट:- विद्यार्थी आवेदन पत्र के समस्त कॉलम की पूर्ति आवश्यक रूप से करें। पूर्ण सूचना के अभाव में छात्रवृत्ति स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। जिसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को छात्रवृति/राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति/स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों/पोते/पोतियों को देय छात्रवृति/ मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृति हेतु पूर्ति की जावे।

कारगिल कार्यवाही में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति/राजस्थान के पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति के लिए पूर्ति हेतु

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है कि शहीद / श्री पुत्र श्री
..... नम्बर रैंक सेना के अंग
(जल/थल/वायु) में दिनांक को सेना में भर्ती हुए तथा वे दिनांक
को कारगिल कार्यवाही में शहीद हुए। विद्यार्थी इनका/इनकी पुत्र/पुत्री
है तथा इनके परिवार की कुल आय पेंशन व अन्य स्त्रोतों से रूपये वार्षिक है।

कार्यालय :-

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के
हस्ताक्षर मय सील

स्वतन्त्रता सैनानियों के बच्चों/पौत्र-पौत्रियों को देय छात्रवृति के लिए पूर्ति हेतु
विद्यार्थी का नाम : पिता का नाम :
..... स्वतन्त्रता सैनानी का नाम एवं विद्यार्थी के
साथ संबंध स्वतन्त्रता सैनानी ने जिस स्वतन्त्रता संग्राम में
भाग लिया उसका विवरण
.....
.....
.....
(स्वतन्त्रता सैनानी को सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

केवल मृत राज्य कर्मचारियों के बच्चों देय छात्रवृति के लिए पूर्ति हेतु
विद्यार्थी का नाम पिता का नाम :
..... राज्य सेवा में पद विभाग का नाम
..... मृत्यु की दिनांक
(राज्य सेवा में रहते हुए मृत्यु हुई इस हेतु विभाग विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)